



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2023/5

--:आदेश:-

दिनांक 19/11/2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड प्रति, पेंशन पीपीओ प्रति, हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1967 के प्रमाण पत्र की प्रति एवं प्रार्थी के बयान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाटून्द तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 327, 298, 329, 328, 716 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाटून्द	327, 298, 329, 328, 716	गोविन्दराम पुत्र वना गोविन्द पुत्र वना एवं जाति कुम्हार	गोविन्दनारायण उर्फ गोविन्दराम उर्फ गोविन्द पुत्र वना एवं जाति ब्राह्मण



कमांक/कोर्ट/2024/2371-2373
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का भाटून्द को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री गोविन्दनारायण पुत्र वनाराम जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द तहसील बाली को सूचनार्थ।

3
पदेन सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 27-11-2024

3
पदेन सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली